छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर

(क) योजना का नाम :–

इस योजना को "राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019" के नाम से संबोधित किया जायेगा। इस योजना के लागू होने के पश्चात् पूर्व में जारी "युवा कैरियर निर्माण योजना वर्ष 2015" एवं आदेश क्र./एफ–15–6/2006/25/2 दिनांक 15.03.2018 निरस्त/अधिक्रमित होंगे। इस योजना के तीन घटक होंगे –

भाग (A)

(I) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी नई दिल्ली में किये जाने हेतु कोचिंग :–

उद्देश्य :–

संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु प्रदेश के 50 चयनित अभ्यर्थियों को नई दिल्ली में प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सुविधाएं मुहैया करायी जायेगी।

इस हेतु अभ्यर्थियों की अर्हताएं, चयन का मापदण्ड, चयन प्रक्रिया, देय सुविधाएं निम्नानुसार होगी :–

(1) अभ्यर्थियों के पात्रता हेतु अर्हताएं :–

(i) आवेदक को छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
(ii) आवेदक भारत सरकार द्वारा छ.ग. राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं छ.ग. शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग से हो तथा स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक हो।
(iii) आवेदक की न्यूनतम आयु 20 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु की गणना विज्ञापन प्रकाशन वर्ष में 1 अगस्त की स्थिति में की जायेगी।
(iv) आवेदक ने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
(v) ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी शासकीय सेवा में कार्यरत हो वे इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे।
(vi) चयनित अभ्यर्थियों को योजना का लाभ केवल एक बार ही दिया जायेगा।
(vii) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों के लिए आय सीमा का कोई बन्धन नहीं होगा तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे आवेदक जिनके पालकों की वार्षिक आय क्रीमीलेयर के लिए निर्धारित आय सीमा तक है, वे प्रवेश हेतु पात्र होंगे। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(2) अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया :–

विभाग द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों से यथा समय आवेदन पत्र आमंत्रित किया जावेगा। प्राप्त आवेदन पत्रों में से कंडिका भाग–A (I-1) की अर्हताएं पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण हेतु चयन निर्धारित सीट सीमा (50) तक निम्नलिखित मापदण्ड के आधार पर किया जावेगा :–

(a) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विगत 1 वर्ष में राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो

अथवा

(b) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विगत 3 वर्षो में संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो

अथवा

(c) ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान सत्र में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हो रहे हो

//2//

Scanned with CamScanner

विगत से तात्पर्य आवेदन आंमत्रित किये जाने से पूर्व राज्य लोक सेवा द्वारा आयोजित सिविल सेवा मुख्य परीक्षा एवं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ऐसी प्रांरभिक परीक्षा से है जिसके परिणाम घोषित हो चुके है।

ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान सत्र में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हो रहे हो उन्हें वर्तमान सत्र की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही प्रशिक्षण हेतु पात्रता होगी।

प्रशिक्षण हेतु पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित सीटों के विरूद्ध अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्राथमिकता के आधार पर अभ्यर्थियो चयन किया जायेगा, **प्राथमिकता** क्रम निम्नानुसार होगा :–

ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने

- विगत 3 वर्षो में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा मुख्य परीक्षा सर्वाधिक बार उत्तीर्ण की हो।
- गत वर्ष की संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- गत तृतीय वर्ष की संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- विगत 3 वर्षो में संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा की प्रांरभिक परीक्षा सर्वाधिक बार उत्तीर्ण की हो।
- राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों में प्राथमिकता का निर्धारण अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु के आधार पर किया जायेगा।
- संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में वर्तमान सत्र की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर प्रशिक्षण हेतु पात्र अभ्यर्थियों में प्राथमिकता का निर्धारण अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु के आधार पर किया जायेगा।

यदि स्वीकृत सीटों के विरूद्ध सीटें रिक्त रह जाती है तो ऐसी स्थिति में सीटों की पूर्ति हेतु विभिन्न समय पर कार्यालय आयुक्त, आ.जा. तथा अनु.जा. विकास द्वारा विज्ञापन जारी किया जा सकेगा तथा तद्उपरांत चयनित पात्र अभ्यर्थियों शेष समयवधि में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे एवं उन्हें कोचिंग शुल्क एवं अन्य सुविधाओं की प्रतिपूर्ति तद्नुसार की जायेगी।

आवश्यकता होने पर अभ्यर्थियों के चयन हेतु कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा परीक्षा का आयोजन कराया जा सकेगा।

(3) <u>सीटों का निर्धारण :–</u>

संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग हेतु राज्य से बाहर प्रशिक्षण हेतु 50 सीटें निर्धारित होंगी।

(i) उक्त 50 सीटों में से 40 सीटें (अनु.जनजाति हेतु 20 सीटें, अनु.जाति हेतु 12 सीटें एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 8 सीटें) कंडिका **2**(a) एवं **2** (b) के तहत् पात्र अभ्यर्थी के लिए निर्धारित होंगी।

(ii) शेष 10 सीटें (अनु.जनजाति हेतु 5 सीटे, अनु.जाति हेतु 3 सीटें एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 2 सीटें) कंडिका 2 (c) के तहत् पात्र अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित होंगी।

उपरोक्त सीट में से 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।

(i) व (ii) में निर्धारित सीटों में से सीटें रिक्त रहने पर आपस में समायोजन किया जा सकेगा। वर्गवार सीटें रिक्त रहने पर भी सीटों का आपसी समायोजन हो सकेगा। इस हेतु आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास सक्षम होंगे।

//3//

Scanned with CamScanner

(4) प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को देय सुविधाएं :–

अभ्यर्थियों को आवासीय सुविधा हेतु दिल्ली में 2 विकल्प उपलब्ध होंगे :–

(i) अभ्यर्थी ट्रायबल यूथ हॉस्टल, नई दिल्ली में आवासीय सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

(ii) अभ्यर्थी स्वयं अपनी इच्छानुसार कोचिंग संस्थानों के निकट आवासीय सुविधा की व्यवस्था कर सकेंगे।

इस हेतु अभ्यर्थियों को देय सुविधाएं निम्नानुसार होगीः–

क्र	विवरण	ट्रायबल यूथ हॉस्टल, में निवासरत अभ्यर्थियों हेतु		स्वयं अपनी इच्छा अनुरूप आवासीय सुविधा की व्यवस्था करने वाले अभ्यर्थियों हेतु		भुगतान की प्रक्रिया
		राशि	प्रति अभ्यर्थी व्यय (वार्षिक)	राशि	प्रति अभ्यर्थी व्यय (वार्षिक)	
1	भोजन,परिवहन एवं अन्य सुविधाएं (10माह हेतु)	12,000 प्रतिमाह	1,20,000	–	–	कोचिंग संस्था में प्रवेश उपरांत प्रतिमाह
2	भोजन, आवासीय एवं अन्य सुविधाएं (10माह हेतु)	–	–	12,000 प्रतिमाह	1,20,000	
3	कोचिंग शुल्क पर होने वाला व्यय (प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, वैकल्पिक विषय, सी सेट का प्रशिक्षण एवं स्टडी मटेरियल)	अंग्रेजी माध्यम हेतु अधिकतम 2.00 लाख एवं हिन्दी माध्यम हेतु अधिकतम 1.50 लाख	अंग्रेजी माध्यम– 2 लाख हिन्दी माध्यम– 1.5 लाख	अंग्रेजी माध्यम हेतु अधिकतम 2.00 लाख एवं हिन्दी माध्यम हेतु अधिकतम 1.50 लाख	अंग्रेजी माध्यम– 2 लाख हिन्दी माध्यम– 1.5 लाख	कोचिंग संस्था में शुल्क भरने की रसीद प्रस्तुत करने उपरांत
प्रति अभ्यर्थी कुल व्यय		अधिकतम व्यय– 3.20 लाख(अंग्रेजी माध्यम) एवं 2.80 लाख (हिन्दी माध्यम)		अधिकतम व्यय– 3.20 लाख(अंग्रेजी माध्यम) एवं 2.80 लाख (हिन्दी माध्यम		

ट्रायबल यूथ हॉस्टल में आवासीय सुविधा केवल पुरूष अभ्यर्थियों हेतु होगी।

समय–समय पर उक्त राशि में शासन द्वारा गठित समिति के अनुशंसा पर संशोधन किया जा सकेगा।

Scanned with CamScanner

(5) प्रशिक्षण अवधि :–

राज्य से बाहर स्थित निजी कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी सामान्यतः 10 माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इस हेतु अभ्यर्थी विभाग द्वारा सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में से अपनी इच्छा अनुरूप कोचिंग संस्था का चयन कर सकेंगे। साक्षात्कार हेतु चयनित होने पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, जिसका व्यय योजना से वहन किया जायेगा।

(6) चयन समिति :–

अभ्यर्थियों के आवेदनों का परीक्षण करने, अंतिम चयन सूची जारी करने, कोचिंग संस्थानों को सूचीबद्ध किये जाने हेतु आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास को समिति गठित किये जाने का अधिकार होगा।

कोचिंग संस्था को सूचीबद्ध किये जाने हेतु आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास सक्षम होंगे, समय–समय पर कोचिंग संस्थानों को सूचीबद्ध किया जा सकेगा।

(7) राशि का भुगतान :–

अभ्यर्थियों को राशि देयक/संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत डीबीटी के माध्यम से प्रशासकीय अधिकारी, ट्रायबल यूथ हॉस्टल, द्वारका, नई दिल्ली के द्वारा परीक्षण उपरांत अंतरित की जायेगी। इस हेतु आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(8) मिथ्या जानकारी प्रस्तुत कर लाभ प्राप्त करने पर कार्यवाही : यदि अभ्यर्थी द्वारा गलत/फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर शासन से राशि प्राप्त की जाती है तो ऐसी स्थिति में विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसके अंतर्गत राशि भी वसूल की जा सकेगी।

II) ट्रायबल यूथ हॉस्टल के पूर्व छात्रों हेतु संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं

उद्देश्य :–

ऐसे छात्र जो पूर्व में ट्रायबल यूथ हॉस्टल, द्वारका, नई दिल्ली में रहकर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे अभ्यर्थियों हेतु 15 सीटें संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु स्वीकृत है, जिसमें अनुसूचित जनजाति हेतु 08, अनुसूचित जाति हेतु 05 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 02 सीटें है।

(1) अभ्यर्थियों के पात्रता हेतु अर्हताए :–

अभ्यर्थी जिन्होंने विगत यू.पी.एस.सी. द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो से, विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आंमत्रित किये जायेंगे। प्रतिवर्ष ड्रापर/रिपीटर का चयन संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के विगत परीक्षा परिणाम के आधार पर आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के द्वारा किया जाएगा। निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर न्यूनतम आयु के आधार पर चयन किया जाएगा।

(2) प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को देय सुविधाएं :–

ड्रापर/रिपीटर बैच के अभ्यर्थियों को योजना के अंतर्गत निम्नानुसार सुविधाएं विभाग द्वारा 10 माह हेतु दी जायेगी :–

विवरण	राशि	प्रति अभ्यर्थी व्यय (वार्षिक)
भोजन एवं परिवहन सुविधा (10माह हेतु)	12,000 प्रतिमाह (राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जायेगा)	1,20,000

अभ्यर्थियों को ट्रायबल यूथ हॉस्टल में ही आवासीय व्यवस्था प्रदान की जायेगी। यदि ड्रापर/रिपीटर बैच का अभ्यर्थी पुनः प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है, तो कोचिंग शुल्क की प्रतिपूर्ति अभ्यर्थी को स्वयं द्वारा वहन करना होगा।

Scanned with CamScanner

भाग (B)

राज्य स्थित निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा हेतु कोचिंग :–

उद्देश्य :–

राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु प्रदेश के 100 चयनित अभ्यर्थियों को राज्य स्थित निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कराया जायेगा। इस हेतु अर्हताएं, चयन का मापदण्ड, चयन प्रक्रिया, देय सुविधाएं निम्नानुसार होगी :–

(1) अभ्यर्थियों के पात्रता हेतु अर्हताएं :–

(i) आवेदक को छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

(ii) आवेदक भारत सरकार द्वारा छ.ग. राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं छ.ग. शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग से हो तथा स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक हो।

(iii) आवेदक की न्यूनतम आयु 20 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु की गणना विज्ञापन प्रकाशन वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में की जायेगी।

(iv) आवेदक ने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(v) ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी शासकीय सेवा में कार्यरत हो वे इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे।

(vi) चयनित अभ्यर्थियों को योजना का लाभ केवल एक बार ही दिया जायेगा।

(vii) ऐसे आवेदक जिनकी स्वयं की आय या माता–पिता/पालक की आय रू. 3.00 लाख वार्षिक तक है, वे योजनांतर्गत संचालित प्रशिक्षण हेतु पात्र होंगे। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(2) अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया :–

विभाग द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु अभ्यर्थियों से यथा समय आवेदन पत्र आमंत्रित किया जावेगा। कंडिका 5(I) के तहत् पात्र अभ्यर्थी ही प्राक्चयन परीक्षा में आवेदन हेतु पात्र होंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों में से निर्धारित सीट सीमा (100) तक प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी का चयन प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम से मेरिट के आधार पर किया जायेगा। प्राक्चयन परीक्षा से तात्पर्य अभ्यर्थियों के चयन के लिए विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा से है।

(3) प्राक्चयन परीक्षा का स्वरूप :–

- प्राक्चयन परीक्षा का स्वरूप तत्समय में राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के अनुरूप होगा। प्राक्चयन परीक्षा का आयोजन राज्य स्तर पर किया जायेगा।
- प्रश्नपत्र में समसामयिक विषय, भारत का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन, संविधान तथा राजव्यवस्था, भारत तथा विश्व का भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, संख्यात्मक अभियोग्यता, गणितीय योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता, छ.ग. सामान्य ज्ञान इत्यादि विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।
- प्राक्चयन परीक्षा का आयोजन संभाग मुख्यालय स्तर पर विभाग द्वारा किया जायेगा। संभागीय मुख्यालय के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी होंगे।
- आवश्यकता अनुसार परीक्षा पैटर्न में परिवर्तन का अधिकार आयुक्त, आदिम जाति तथा अनूसूचित जाति विकास को होगा।

Scanned with CamScanner

(4) **सीटों का निर्धारण** : राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग हेतु 100 निर्धारित होंगी जिसका वितरण निम्नानुसार होगा :–

क्र.	जिला	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	योग
01	रायपुर	25	15	10	50
02	दुर्ग	25	15	10	50
			महायोग		100

उपरोक्त सीटों में से 33 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। वर्गवार सीटें रिक्त रहने पर भी सीटों का आपसी समायोजन हो सकेगा।

(5) **प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को देय सुविधाएं :–**

- प्रशिक्षण हेतु चयनित/प्रवेशित अभ्यर्थियों को विभाग के साथ राज्य स्तर पर इम्पैनल्ड कोचिंग संस्थाओं में से इच्छा अनुरूप कोचिंग संस्था का चयन करने का अवसर मेरिट क्रम में प्रदान किया जायेगा।
- चयनित/प्रवेशित अभ्यर्थियों को प्रति व्यक्ति मेस तथा आवासीय सुविधा (किराया) हेतु राशि रू. 3000/– प्रतिमाह की दर से विभाग द्वारा योजना अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी।
- प्रशिक्षण लेने वाले अभ्यर्थियों को पुस्तकों के क्रय हेतु प्रशिक्षण अवधि में केवल एक ही बार राशि रूपये 4000/– दिया जावेगा।

  समय–समय पर उक्त राशि में शासन द्वारा गठित समिति के अनुशंसा पर संशोधन किया जा सकेगा।

(6) **प्रशिक्षण अवधि :–**

राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु अभ्यर्थियों को अधिकतम 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस प्रशिक्षण अवधि में राज्य सिविल सेवा की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। साक्षात्कार हेतु चयनित होने पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, जिसका व्यय योजना से वहन किया जायेगा।

(7) **कोचिंग संस्था का चयन :–**

(i) राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु विभाग द्वारा "रूचि की अभिव्यक्ति" के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कर कोचिंग संस्थाओं का इम्पैनलमेंट निम्न समिति के द्वारा किया जायेगा :–

1. आयुक्त, आ.जा. तथा अनु.जा. विकास – अध्यक्ष
2. उपायुक्त प्रशासन/योजना, आ.जा. तथा अनु.जा. विकास – सदस्य
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त संचालक वित्त, आ.जा. तथा अनु.जा. वि. – सदस्य
4. योजना प्रभारी अधिकारी, आ.जा. तथा अनु.जा. विकास – सदस्य सचिव
5. आयुक्त द्वारा नांमाकित विशेष आंमत्रित सदस्य

(ii) "रूचि की अभिव्यक्ति" हेतु फार्म एवं डाक्यूमेंट आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा तैयार किया जायेगा, इसमें निजी कोंचिग संस्थानों के लिए निम्नांकित मानकों का अवश्य उल्लेख होगा :–

- कोचिंग संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860/छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973/कम्पनीज एक्ट 1956/इंडियन पार्टनरशिप एक्ट/ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट (रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट अनिवार्य तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)/ भारत सरकार अथवा छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी एक्ट के तहत पंजीकृत हो। संस्था का पंजीयन निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। पंजीयन गलत प्राप्त होने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संस्था के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

Scanned with CamScanner

- संस्था का पेन (PAN) एवं टेन (TAN) नम्बर अनिवार्यतः होना चाहिए।
- विगत 3 वर्षो की आडिट रिपोर्ट।
- प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अधोसंरचना यथा फर्नीचर, कुर्सी, भवन इत्यादि की व्यवस्था।
- विगत तीन वर्षो का परीक्षा परिणाम एवं सफलता का प्रतिशत।
- फैकल्टी का विवरण।

इसके अतिरिक्त मानको का निर्धारण आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, अटल नगर रायपुर द्वारा उस वर्ष प्रकाशित "रूचि की अभिव्यक्ति" में किया जा सकेगा।

(iii) प्राप्त प्रस्ताव का मूल्यांकन उक्त समिति के द्वारा किया जायेगा एवं पात्र संस्थाओं को प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित किया जायेगा। गुणात्मक मूल्यांकन के 70 प्रतिशत वेटेज के आधार पर समिति के द्वारा संस्था का इम्पैनलमेंट किया जा सकेगा।

(8) कोचिंग संस्था को कार्य आंबटन :–

चयनित कोचिंग संस्थाओं को प्रशिक्षण दिनांक से 2 वर्षो हेतु इम्पैनल्ड किया जायेगा। यदि इस अवधि में संस्था का कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है तो संस्था का इम्पैनलमेंट समाप्त किया जा सकेगा एवं कोचिंग संस्था द्वारा बीच में प्रशिक्षण बंद कर देने की स्थिति में भुगतान की गयी राशि अनुपातिक रूप से वसूल की जा सकेगी। विशिष्ट परिस्थिति में संस्थाओं का इम्पैनलमेंट अधिकतम एक वर्ष हेतु और बढ़ाया जा सकेगा, तद्उपरांत नये प्रस्ताव आंमत्रित किये जायेगे। इस हेतु आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास सक्षम होंगे।

(9) कोचिंग संस्था का दायित्व :–

- प्रवेशित अभ्यर्थियों को राज्य लोक सेवा द्वारा आयोजित प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु परिणामोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करना ।
- प्रवेशित अभ्यर्थियों का टेस्ट सीरिज के माध्यम से मूल्यांकन करना एवं अध्यापन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु सकारात्मक प्रयास करना।
- कोचिंग संस्था में अभ्यर्थियों के बौद्धिक विकास हेतु समय–समय पर मार्गदर्शन/उत्साहवर्धन हेतु प्रेरणात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- समय–समय पर विद्यार्थियों के प्रगति प्रतिवेदन से कार्यालय/मुख्यालय को सूचित करना।
- विभाग द्वारा निर्मित ऑनलाइन मॉनीटरिंग सिस्टम में अभ्यर्थियों की प्रविष्टि सुनिश्चित करना।
- कोचिंग संस्थाओं में अभ्यर्थियों को आधारभूत सुविधा प्रदान करना।

(10) राशि का भुगतान :–

- कोचिंग संस्था को प्रस्तावित दर की 75 प्रतिशत राशि का भुगतान 3 किश्तों में किया जायेगा।
- शेष 25 प्रतिशत राशि का भुगतान परीक्षा परिणाम पर आधारित होगा। जिसका निर्धारण कंडिका (VII) (i) में उल्लेखित समिति की अनुशंसा पर, आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा किया जायेगा।
- जिला रायपुर/दुर्ग हेतु इम्पैनल्ड कोचिंग संस्था को उक्त राशि का भुगतान सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायपुर/दुर्ग द्वारा किया जायेगा। इस हेतु उन्हें कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन द्वारा आबंटन प्रदान किया जायेगा।
- सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायपुर/दुर्ग कोचिंग संस्थाओं में प्रवेशित अभ्यर्थियों की सतत् मॉनिटरिंग करेंगे एवं प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त कर सकेंगे।
- कोचिंग संस्था को राशि का भुगतान आयकर विभाग के दिशा निर्देशों के तहत् टीडीएस कटौती उपरांत किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

भाग (C)

विभाग द्वारा स्थापित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में बैकिंग/ रेल्वे/एस.एस.सी./व्यापम जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी हेतु प्रशिक्षण :–

उद्देश्य :–

बैकिंग, रेल्वे, एस.एस.सी., व्यापम जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विभाग द्वारा संचालित 5 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों (रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, कबीरधाम एवं नारायणपुर) में 100–100 चयनित अभ्यर्थियों को निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कराया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर अन्य जिलों में भी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जा सकेगें। इस हेतु अर्हताएं, चयन का मापदण्ड, चयन प्रक्रिया, देय सुविधाएं निम्नानुसार होगी :–

(1) अभ्यर्थियों के पात्रता हेतु अर्हताए :–

(i) आवेदक छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

(ii) आवेदक भारत सरकार द्वारा छ.ग. राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं छ.ग. शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग से हो तथा स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक हो।

(iii) आवेदक की न्यूनतम आयु 20 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु की गणना विज्ञापन प्रकाशन वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में की जाएगी।

(iv) आवेदक बैकिंग/रेल्वे/व्यापम/एस.एस.सी. द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखता हो।

(v) ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी शासकीय सेवा में कार्यरत हो वे इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे।

(vi) चयनित अभ्यर्थियों को योजना का लाभ केवल एक बार ही दिया जायेगा।

(vii) ऐसे आवेदक जिनकी स्वयं की आय या माता–पिता/पालक की आय रू. 3.00 लाख वार्षिक तक है, वे योजनांतर्गत संचालित प्रशिक्षण हेतु पात्र होंगे। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(2) सीटों का निर्धारण :–

प्रत्येक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र हेतु निर्धारित 100 सीट्स में से 50 सीट अनुसूचित जनजाति, 30 सीट अनुसूचित जाति एवं 20 सीट अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित होगी। तथापि किसी वर्ग में सीट रिक्त होने पर अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के मध्य परस्पर रिक्तियों की पूर्ति की जा सकेगी।

उपरोक्त सीट में से 33 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।

(3) अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया :–

परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों का चयन प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। प्राक्चयन परीक्षा हेतु कंडिका (6)(I) के तहत् पात्र अभ्यर्थी योग्य होंगे।

(4) प्राक्चयन परीक्षा का स्वरूप :–

(i) प्राक्चयन परीक्षा का स्वरूप तत्समय में प्रचलित परीक्षा पैटर्न के अनुरूप होगा। जिसमें सामान्यतः समसामयिक विषय, भारत का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन, संविधान तथा राजव्यवस्था, भारत तथा विश्व का भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, संख्यात्मक अभियोग्यता, गणितीय योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता, छ.ग. सामान्य ज्ञान इत्यादि विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।

(ii) आवश्यकता अनुसार परीक्षा पैटर्न में परिवर्तन का अधिकार आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास को होगा।

(iii) प्राक्चयन परीक्षा का आयोजन तथा अभ्यर्थियों का चयन संबंधित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में अपर संचालक/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास एवं प्रशिक्षण हेतु चयनित कोचिंग संस्था के समन्वय से किया जायेगा, इस हेतु सहायक आयुक्त आदिवासी विकास नोडल अधिकारी होंगे तथा उनके द्वारा सामाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

(iv) सीटें रिक्त होने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों की पूर्ति की जा सकेगी।
(v) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा ऑनलाईन आवेदन की व्यवस्था भी की जा सकेगी।
(vi) आवेदन पत्र प्राप्त होने पर निर्धारित प्रारूप में पावती सह प्रवेश पत्र प्रेषक को तत्काल जारी किया जायेगा, ताकि पृथक से प्रवेश पत्र भेजने की आवश्यकता न हो एवं समय की बचत हो।

(5) प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को देय सुविधाएं :–

- प्रशिक्षण हेतु चयनित/प्रवेशित अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा चयनित कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- चयनित/प्रवेशित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह राशि रूपये 1000/– शिष्यवृत्ति विभाग द्वारा योजना अंतर्गत उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को कोई अन्य छात्रवृत्ति/ शिष्यवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
- चयनित तथा दूरस्थ क्षेत्र के अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा उपलब्धता अनुसार छात्रावास की सुविधा प्रदान की जायेगी।

(6) प्रशिक्षण अवधि :–

वर्ष में 6–6 माह के दो प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये जायेगे। इस हेतु अभ्यर्थियों का चयन प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम से होगा। प्रथम 6 माह में प्राक्चयन परीक्षा में चयनित व द्वितीय 6 माह में प्रतीक्षा सूची के 100–100 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। अभ्यर्थी, चयनित कोचिंग संस्था द्वारा वर्ष में आयोजित होने वाले टेस्ट सीरिज में शामिल हो सकेगे एवं समस्या का समाधान प्राप्त कर सकेगे।

(7) प्रशिक्षण केन्द्र में उपलब्ध सुविधाएं :–

- परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में निःशुल्क कोचिंग प्राप्त करने हेतु प्रवेशित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के लिए आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष एवं कोचिंग संस्था के लिए कार्यालय कक्ष आदि की व्यवस्था विभाग द्वारा की जाएगी।
- कोचिंग में प्रवेशित अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा कुर्सी, टेबल, बिजली, पंखा, पानी, फर्स्ट एड, लायब्रेरी आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- चयनित कोचिंग संस्था द्वारा कोचिंग केन्द्र पर छात्रों के लिए विषय विशेषज्ञ, स्टेशनरी, पुस्तकें, स्टडी मटेरियल, नियमित मासिक, त्रैमासिक, छःमाही टेस्ट, व्यक्तिगत विकास, इंग्लिश स्पोकन, साक्षात्कार के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

(8) कोचिंग संस्था का चयन :–

(i) बैकिंग, रेल्वे, एस.एस.सी. एवं व्यापंम जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विभाग द्वारा "रूचि की अभिव्यक्ति" के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कर कोचिंग संस्थाओं का चयन निम्न समिति के द्वारा किया जायेगा :–

1. आयुक्त, आ.जा. तथा अनु.जा. विकास – अध्यक्ष
2. उपायुक्त प्रशासन/योजना, आ.जा. तथा अनु.जा. विकास – सदस्य
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त संचालक वित्त, आ.जा. तथा अनु.जा.वि – सदस्य
4. योजना प्रभारी अधिकारी, आ.जा. तथा अनु.जा. विकास – सदस्य सचिव
5. आयुक्त द्वारा नांमाकित विशेष आंमत्रित सदस्य

(ii) "रूचि की अभिव्यक्ति" हेतु फार्म एवं डाक्यूमेंट आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा तैयार किया जायेगा, इसमें निजी कोंचिग संस्थानों के लिए निम्नाकिंत मानको का अवश्य उल्लेख होगा :–

- कोचिंग संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860/छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973/कम्पनीज एक्ट 1956/इंडियन पार्टनरशिप एक्ट/ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट (रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट अनिवार्य तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)/ भारत सरकार अथवा छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी एक्ट के तहत पंजीकृत हो। संस्था का पंजीयन निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। पंजीयन गलत प्राप्त होने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संस्था के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

Scanned with CamScanner

- संस्था का पेन (PAN) एवं टेन (TAN) नम्बर अनिवार्यतः होना चाहिए।
- विगत 3 वर्षो की आडिट रिपोर्ट।
- विगत तीन वर्षो का परीक्षा परिणाम एवं सफलता का प्रतिशत।
- फैकल्टी का विवरण।

इसके अतिरिक्त मानको का निर्धारण आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, अटल नगर रायपुर द्वारा उस वर्ष प्रकाशित "रूचि की अभिव्यक्ति" में किया जा सकेगा।

(iii) प्राप्त प्रस्ताव का मूल्यांकन उक्त समिति के द्वारा किया जायेगा एवं पात्र संस्थाओं को प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित किया जायेगा। गुणात्मक मूल्यांकन के 70 प्रतिशत एवं वित्तीय दर की 30 प्रतिशत वेटेज के आधार पर गणना कर संस्थाओं का चयन मेरिट क्रम में समिति के द्वारा किया जा सकेगा।

(iv) एक संस्था को अधिकतम 2 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में कोचिंग देने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

(v) चयनित कोचिंग संस्था को विभाग द्वारा निर्मित शर्तो के अधीन आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास से नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सशर्ते अनुबंध करना होगा।

(9) कोचिंग संस्था का दायित्व :–

- प्रवेशित अभ्यर्थियों को बैकिंग, रेल्वे, एस.एस.सी. एवं व्यापम जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना ।
- प्रवेशित अभ्यर्थियों का टेस्ट सीरिज के माध्यम से मूल्यांकन करना एवं अध्यापन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु सकारात्मक प्रयास करना।
- कोचिंग संस्था में समय–समय पर मार्गदर्शन/उत्साहवर्धन हेतु प्रेरणात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- समय–समय पर विद्यार्थियों के प्रगति प्रतिवेदन से कार्यालय/मुख्यालय को सूचित करना।
- प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों के लिए स्टडी मटेरियल कोचिंग संस्था के द्वारा तैयार किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार प्रवेशित विद्यार्थियों को वितरित किया जाएगा। उक्त कार्य हेतु प्रशिक्षण केन्द्र में अध्ययन सामग्री वितरण पंजी रखना होगा।
- जिले स्तर पर योजना के प्रचार–प्रसार हेतु कैरियर काउसिंलिंग/कार्यशाला/सेमीनार का आयोजन कोचिंग संस्था के द्वारा किया जायेगा।
- प्रवेशित अभ्यर्थियों का मासिक, त्रैमासिक एवं छःमाही टेस्ट लेना होगा एवं मूल्यांकन करना होगा। मूल्यांकन के आधार पर सुधार हेतु सुझाव तथा अध्यापन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु सतत् सकारात्मक प्रयास करना होगा। टेस्ट एवं आंतरिक मूल्यांकन के अभिलेख संस्था को सुरक्षित रखना होगा।
- प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑनलाईन आवेदन करने की व्यवस्था का दायित्व कोचिंग संस्था का होगा। छात्र/छात्राओं के परीक्षा परिणाम का फालोअप भी कोचिंग संस्था को करना होगा। साथ ही विभाग को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसकी सूचना अपर संचालक, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास की ओर प्रेषित की जावेगी।
- कक्षा में अनुशासन बनाये रखने का दायित्व कोचिंग संस्था का होगा।
- कोचिंग कक्षा का समय–समय पर निरीक्षण एवं मूल्यांकन आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा अधिकृत अधिकारियों के द्वारा किया जा सकेगा।

(10) कोचिंग संस्था को कार्य आंबटन :–

कोचिंग संस्थाओं का चयन प्रशिक्षण दिनांक से 2 वर्षो हेतु किया जायेगा। यदि इस अवधि में संस्था का कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है तो संस्था से अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा एवं कोचिंग संस्था द्वारा बीच में प्रशिक्षण छोड़ देने की स्थिति में भुगतान की गयी राशि अनुपातिक रूप से वसूल की जा सकेगी। विशिष्ट परिस्थिति में संस्थाओं का अनुबंध अधिकतम एक वर्ष हेतु और बढ़ाया जा सकेगा, तद्उपरांत नये प्रस्ताव आंमत्रित किये जायेंगे। इस हेतु आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास सक्षम होंगे।

Scanned with CamScanner

(11) राशि का भुगतान :–

- कोचिंग संस्था को प्रस्तावित दर की 75 प्रतिशत राशि का भुगतान 3 किश्तों में किया जायेगा। इस हेतु संबंधित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र के जिले के सहायक आयुक्त को आबंटन आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा प्रदान किया जायेगा।
- शेष 25 प्रतिशत राशि का भुगतान परीक्षा परिणाम पर आधारित होगा। जिसका निर्धारण कंडिका (भाग–C)(8–i) में उल्लेखित समिति की अनुशंसा पर, आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा किया जायेगा।
- समस्त परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र के सहायक आयुक्त/अपर संचालक प्रशिक्षण हेतु चयनित समस्त अभ्यर्थियों की सतत् मॉनीटरिंग करेंगे एवं प्रगति प्रतिवेदन विभाग को प्रेषित करेंगे।
- कोचिंग संस्था को राशि का भुगतान आयकर विभाग के दिशा निर्देशों के तहत् टीडीएस कटौती उपरांत किया जायेगा।

(ख) योजना की मॉनीटरिंग :–

योजना की सतत् मॉनीटरिंग एवं आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जाने हेतु एक राज्य स्तरीय समिति गठित की जावेगी, यह समिति योजना के सफलता पूर्वक क्रियान्वयन हेतु निर्णय ले सकेगी। समिति का स्वरूप इस प्रकार होगा :–

- सचिव, आ.जा.तथा अनु.जा.विकास विभाग – अध्यक्ष
- आयुक्त, आ.जा.तथा अनु.जा.विकास – सदस्य
- अपर संचालक/उपायुक्त, प्रशासन/योजना – सदस्य
- वित्त नियंत्रक/संयुक्त संचालक (वित्त) – सदस्य
- योजना प्रभारी अधिकारी –सदस्य सचिव
- सचिव द्वारा नांमाकित विशेष आंमत्रित सदस्य

(ग) विवादों का निपटारा :–

योजनांतर्गत प्रशिक्षण/कोचिंग संचालन संबंधी किसी भी प्रकार का विवाद होने पर सचिव, छ. ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, महानदी भवन द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

(घ) योजना पर होने वाला व्यय :–

- मांग संख्या 41 मुख्यशीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा–02 माध्यमिक शिक्षा–109–सरकारी माध्यमिक विद्यालय–0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना–7363 युवा कैरियर निर्माण योजना।
- मांग संख्या 64 मुख्यशीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा–02 माध्यमिक शिक्षा–109–सरकारी माध्यमिक विद्यालय–0103 अनुसूचित जाति उपयोजना–7363 युवा कैरियर निर्माण योजना।
- मांग संख्या 66 मुख्यशीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा–02 माध्यमिक शिक्षा–109–सरकारी माध्यमिक विद्यालय–0101 राज्य आयोजना (सामान्य)–7363 युवा कैरियर निर्माण योजना।

(ड़) नियमों का विवेचन :–

- इस नियम के प्रभावशील होने की तिथि से पूर्व में लागू योजना नियम से परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में अनुबंधित संस्थाएं निर्धारित अवधि तक अनुबंध के अनुरूप संचालित होती रहेंगी।
- इन नियमों में उल्लेखित प्रावधान के बारे में संशोधन/परिवर्तन एवं विवेचना का अधिकार छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को होगा।

(डी.डी. सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु.जा.वि.वि.

Scanned with CamScanner